

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 06 सितम्बर, 2017

विषय- शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-656/XXVI/छः(2)/2009, दिनांक 24.12.2012 के क्रम में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को अपनी संस्थाओं के निर्माण कार्यों को करने हेतु अधिकृत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण एवं मानकों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के परामर्श के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण शाखा को सभी विभागों के धनराशि ₹10,00,00,000/- दस करोड़ की लागत तक के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था बनाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को अन्य विभागों के कार्य कराये जाने पर शासनादेश संख्या-330/XXVI/छः(2)/2009, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार सेन्टेज प्रभार देय होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पु0संख्या: 237/XXVI/छः(2)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण शाखा, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।